

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 1(1)साप्र / 2 / 2021

जयपुर, दिनांक

25.5.21

-: आदेश :-

जस्टिस जी.के.व्यास, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार, आयोग, जयपुर द्वारा उक्त पद पर दिनांक 25.01.2021 को कार्यग्रहण किये जाने के फलस्वरूप गृह (मानवाधिकार) विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.8.2002 राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2002 के नियम संख्या 8(क) (i) व इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 1(77)जीए/ग/55, दिनांक 5.9.2005 के अनुसरण में इनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न आवंटित प्रथम राजकीय आवास संख्या T/15, गांधीनगर, जयपुर के स्थान पर प्रथम श्रेणी राजकीय आवास स0 T/46 गांधीनगर, जयपुर का उनके पद पर बने रहने तक के लिए एतद्वारा निः शुल्क आवंटन किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जस्टिस जी.के.व्यास, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार, आयोग, जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर जयपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड तृतीय, जयपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिंग, गांधीनगर, जयपुर।
10. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार, आयोग, जयपुर।
12. शासन उप सचिव, गृह (मानवाधिकार) आयोग, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

 25/5/21
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल